

दाखल ता 29 APR 2016

महायुक्त अधिक्षक  
लोहमार्ग न्यायालय, दौंड

परिवाद-पत्र

5CC 7929/19E

मा.न्यायादण्डाधिकारी सो.प्रथमवर्ग लोहमार्ग न्यायालय, दौंड की सेवा में सविनय सादर

01. RPF थाना :- लोनी
02. मामला रजि.क्रमांक :- 358 /2016.
03. धारा :- 167 रेल अधिनियम
04. घटना की दिनांक एवं समय :- दिनांक 29.04.2016 को समय करिबन 10.35 बजे
05. घटनास्थल :- TMD 51325 प्लेनर मे (मि.) बिल्ली मे खपत वीथ
06. फरियादी का नाम व पता :- आ/प्र.अ. 0800381 प.आर. माने RPF/थाना/लोनी
07. संलिप्त व्यक्ति का नाम व पता :- मल्हारी श. इगो शिंदे उम्र 60 वर्ष.  
पता- बेंदवाडी, वापेंडी (क्र.119) तह.दोंड, जि.पुणे
08. जप्त मुद्देमाल का विवरण :-
09. मा.न्यायालय में दायर रहने की दिनांक व समय :- दिनांक 29.04.2016 को समय 13.00 बजे
10. जांच अधिकारी का नाम व पता :- पि.जी. कुर्क ASI/SHPF/RPF/थाना/लोनी
11. घटना की संक्षिप्त हकीकत :- मा. न्यायालय की सिमा एवं रेलवे सुरक्षा बल, थाना, लोनी के कार्यक्षेत्र में दिनांक 29 / 04 /2016 को कॉलम नं. 07 के व्यक्ति व्दाय कॉलम नं. 05 के घटनास्थल पर अनाधिकृत रूप से उपरोक्त क्षेत्र मे बिडी पिकर धुआपान करने लग्य
- रेल अधिनियम की धारा 167 उल्लंघन किया है कारणवश उक्त व्यक्ति को रेल अधिनियम के तहत "नोटीस" जारी कर उचित कानुनी कार्यवाही होने हेतु मा.न्यायालय के समक्ष उक्त मामला पिचारण हेतु पेश किया जा रहा है।

अतः मा. न्यायालय से विनती है कि, उक्त व्यक्ति के विरुद्ध उचित कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करके उक्त व्यक्ति के पास से जप्तशुदा माल के निपटारा हेतु आवश्यक आदेश जारी करने की कृपा करें।

संलिप्त व्यक्ति के हस्ताक्षर



मल्हारी

मे.हु.को.जा.व्हावे.

संलग्न

:- फरियाद, नोटीस

निरीक्षक

आर. पी. एफ. थाना, लोनी  
Inspector  
R.P.F. Thana, Loni

रड जम 100  
पावती 00/1138

मह. महाक्षक,  
लोहमार्ग न्यायालय, दौंड

पला गन्ना कपल आहे.



ममक्ष

प्रथम वर्ष न्यायदंडाधिकारी

लोहमार्ग, दौंड

29 APR 2016

सिद्धांत प्रमाणित करणे आहे. प्ले रीडिंग.  
Exn. - 01. ... The contents of Plea readout  
as explained in memorandum in which he  
understood and voluntarily admitted guilty  
to the Commission.

Hence he is convicted and Sentenced

to Pay a Fine of Rs. 100/-

1 day

Judicial Magistrate  
J.M.F.C. (Rly.) Daund

29 APR 2016